

**भाग—I****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 9 फरवरी, 2026

**संख्या लैज. 8/2026.**— दि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी श्राइन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

**2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8****हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025****हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल****अधिनियम, 2022 को आगे संशोधित****करने हेतु****अधिनियम**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल अधिनियम, 2022 की धारा 8 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 2025 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 8 का संशोधन।

“(ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;”।

रितु गर्ग,  
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।